



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022021-225240
CG-DL-E-18022021-225240

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942

No. 669]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 732(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू, रियासी, राजौरी एवं पुँछ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी 90+150 से 116+980 कि.मी. तक अखनूर से पुँछ रोड का निर्माण (चौड़ीकरण/दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डिप्टी कमिश्नर भूमि अधिग्रहण अधिकारी-राजौरी आफिस-राजौरी जिला-राजौरी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकृता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के

पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य के जिले राजौरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के कि.मी. 90+150 से 116+980 कि. मी. (अखनुर से पुँछ रोड सेक्शन-5) के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: राजौरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नौशेरा					
गांव का नाम: राजाल					
1	1256min	निजी	असिंचित	0.0906000(हेक्टेयर)	0.0906000
2	1257min	निजी	असिंचित	0.0683000(हेक्टेयर)	0.0683000
3	1258	निजी	असिंचित	0.1346000(हेक्टेयर)	0.1346000
4	1259	सरकारी	असिंचित	0.0617000(हेक्टेयर)	0.0617000
5	138min	निजी	असिंचित	0.0117000(हेक्टेयर)	0.0117000
6	138min	निजी	असिंचित	0.0428000(हेक्टेयर)	0.0428000
7	324min	निजी	असिंचित	0.0428000(हेक्टेयर)	0.0428000
8	337min	निजी	असिंचित	0.1311000(हेक्टेयर)	0.1311000
9	338min	निजी	असिंचित	0.1036000(हेक्टेयर)	0.1036000
10	351min	निजी	असिंचित	0.1183000(हेक्टेयर)	0.1183000
11	355min	निजी	असिंचित	0.1075000(हेक्टेयर)	0.1075000
12	365min	निजी	असिंचित	0.0375000(हेक्टेयर)	0.0375000
13	370min	निजी	असिंचित	0.0014000(हेक्टेयर)	0.0014000
14	372min	निजी	असिंचित	0.1478000(हेक्टेयर)	0.1478000

15	380	निजी	असिंचित	0.0425000(हेक्टेयर)	0.0425000
16	494min	निजी	असिंचित	0.0467000(हेक्टेयर)	0.0467000
17	519min	निजी	रास्ता	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
कुल				1.1914	1.1914

[फा. सं. 5/3A5]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 732(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2-Laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the National Highway No.144A in the stretch of land from Km. 90+150 to 116+980 (Akhnoor to Poonch Road Section - 5) Road of the National Highway No. 144A in the State of Jammu & Kashmir, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Deputy Commissioner Land Acquisition Rajouri H Q., Rajouri District Rajouri, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 90+150 to 116+980 (Akhnoor to Poonch Road Section-5) Road of the National Highway No. 144A in the State of Jammu & Kashmir.

State: JAMMU & KASHMIR			District: Rajouri		
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nowshera					
Village: Rajal					
1	1256min	Private	non-irrigated	0.0906000(Hectare)	0.0906000
2	1257min	Private	non-irrigated	0.0683000(Hectare)	0.0683000
3	1258	Private	non-irrigated	0.1346000(Hectare)	0.1346000
4	1259	Government	non-irrigated	0.0617000(Hectare)	0.0617000
5	138min	Private	non-irrigated	0.0117000(Hectare)	0.0117000
6	138min	Private	non-irrigated	0.0428000(Hectare)	0.0428000

7	324min	Private	non-irrigated	0.0428000(Hectare)	0.0428000
8	337min	Private	non-irrigated	0.1311000(Hectare)	0.1311000
9	338min	Private	non-irrigated	0.1036000(Hectare)	0.1036000
10	351min	Private	non-irrigated	0.1183000(Hectare)	0.1183000
11	355min	Private	non-irrigated	0.1075000(Hectare)	0.1075000
12	365min	Private	non-irrigated	0.0375000(Hectare)	0.0375000
13	370min	Private	non-irrigated	0.0014000(Hectare)	0.0014000
14	372min	Private	non-irrigated	0.1478000(Hectare)	0.1478000
15	380	Private	non-irrigated	0.0425000(Hectare)	0.0425000
16	494min	Private	non-irrigated	0.0467000(Hectare)	0.0467000
17	519min	Private	Rasta	0.0025000(Hectare)	0.0025000
Total				1.1914	1.1914

[F. No. 5/3A5]

RAJESH GUPTA, Director